

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँराज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(स्वे.से.नि.)/एफ.04129/2024/225

दिनांक : 12-03-24

आदेश

श्री इकरामुदीन आजाद, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सवाई माधोपुर जिनकी जन्म तिथि 15.08.1970 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 22.03.2024 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 23.03.2024 को अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकरामुदीन आजाद, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सवाई माधोपुर के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(स्वे.से.नि.)/एफ.04129/2024/225 दिनांक : 12-03-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.)सवाई माधोपुर।
4. श्री इकरामुदीन आजाद, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
5. ग्रंथारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5976146

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :11-03-2024 06:13:10